

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-17/विविध-01-64/2023 - 462(17)

पटना, दिनांक :- 08/05/2025

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र (सत्र-2021-24) को NEET-SS 2024 & DNB(PDCET) 2025 के Counselling में भाग लेने/नामांकन हेतु विभागीय आदेश सख्या-914(1) दिनांक-06 10 2020-सह-पठित-शुद्धि पत्र सख्या-915(1) दिनांक-10 10 2020 में निहित शर्तों के आलोक में अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि नामांकन नहीं होने अथवा चयनोपरान्त अध्ययन अवकाश पूर्ण करने के तत्काल बाद तीन वर्षीय बॉण्ड सेवा पूर्ण करेंगे -

क्र० सं०	नाम	जन्म तिथि	विषय	अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयोजन
1	2	3	4	5
01	Shuvam Kumar Sanghar	25 07 1994	MD (General Medicine)	NEET-SS-2024
02	Jitendra Kumar Verma	01 08 1989	MD (Psychiatry)	NEET-SS-2024
03	Sanjay Kumar Bairwa	01 12 1996	MD (General Medicine)	NEET-SS-2024
04	Dheeraj Kumar Meena	05 02.1997	MD (General Medicine)	NEET-SS-2024
05	Deshraj Meena	29.07 1997	MD (General Medicine)	NEET-SS-2024
06	Umesh Kumar Mishra	02 07 1990	MD (General Medicine)	NEET-SS-2024
07	Shubham Ojha	21 02 1997	MD (General Medicine)	NEET-SS-2024
08	Priyanka Mittal	04 09 1997	MD (Paediatrics)	NEET-SS-2024
09	Abhishek Sharma	18.08 1996	MS (Orthopedics)	NEET-SS-2024
10	Ram Autar	05.09 1989	D T.C.D (Tuberculosis & Chest Diseases)	DNB(PDCET) 2025
11	Md Parwez Alam	11 02 1993	D T C D (Tuberculosis & Chest Diseases)	DNB(PDCET) 2025

2. सबधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा उपर्युक्त आदेश में निहित शर्तों के आलोक में सबधित चिकित्सक से उच्चतर शिक्षा (NEET-SS/DNB-PDCET) पाठ्यक्रम हेतु आवंटित सस्थान का साक्ष्य एवं शपथ-पत्र प्राप्त कर उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रम करने के लिए ही अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

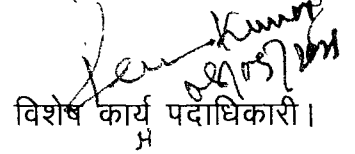
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं सं-17 विविध-01-64 / 2023 - 462(17)

पटना, दिनांक :- 08/05 / 2025

- प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, सबधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित है कि विभागीय आदेश सख्या-914(1) दिनांक-06.10.2020 सह- पठित-शुद्धि पत्र सख्या 915(1) दिनांक-10.10.2020 में निहित शर्तों के आलोक में सबधित छात्र से आवश्यक शपथ-पत्र प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- सबधित प्रमडलीय आयुक्त, बिहार/सबधित जिला पदाधिकारी/सबधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सबधित पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र (सत्र-2021-24) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03, 08, 09 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।